बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 7 स्था0 (2) अनु0–16/2024 .... दिनांक– ..../2025

आदेश

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या–3/सी 2–2067/90 का0 13293 दिनांक– 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा के ज्ञापांक–66–179/22 Com No.-164570–369/स्था0, दिनांक–16.03.2024 से निर्गत जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा की दिनांक–16.03.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के कंडिका–1 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिलाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–66–322/2024 Com No.-369342–132/स्था0, दिनांक–07.02.2025 से प्राप्त है) एवं जिला पशुपालन कार्यालय, सहरसा के पत्रांक–2151, दिनांक–19.09.2024 एवं पत्रांक–2713, दिनांक–27.11.2024 से प्राप्त कागजातों को पशुपालन निदेशालय आदेश ज्ञापांक 2901 (नि0), दिनांक 30.08.2023 के द्वारा गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया एवं समिति के अनुशंसा (कार्यवाही आदेश ज्ञापांक 1436 (नि0), दिनांक 07.04.2025 के द्वारा निर्गत) के आलोक में **चाँदनी परवीन** (जन्म तिथि–02.04.1993) पति **स्व0 जावेद अख्तर, भूतपूर्व परिचारी, पशु शल्य चिकित्सक कार्यालय, सहरसा**, वर्तमान पता–ग्राम/मोहल्ला–नया बाजार, वार्ड संख्या–03, पोस्ट–सहरसा, थाना–सहरसा, प्रखंड–कहरा, अनुमंडल–सहरसा, जिला–सहरसा, पिन कोड–852202 को **वर्ग–04 (चार) कार्यालय परिचारी** के पद पर वेतनमान रू0 5200–20200/–, ग्रेड वेतन 1800/– (अपुनरीक्षित) लेवल (1) 18000/– मूलवेतन (पुनरीक्षित) तथा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्ते के साथ पूर्णतः अस्थायी रूप से अनुकंपा के आधार पर सशर्त्त नियुक्त कर **कार्यालय पशु शल्य चिकित्सालय, सहरसा** के अन्तर्गत में **वर्ग–04 (चार) कार्यालय परिचारी** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शर्त्तें निम्नवत हैं:–

2– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण–पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। **पशु शल्य चिकित्सक, सहरसा** योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक **चाँदनी परवीन** से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि ***"वे भविष्य में मृतक स्व0 जावेद अख्तर, भूतपूर्व परिचारी के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण–पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी।"*** शपथ पत्र की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।

3– नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्र के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ah

4– योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5– नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6– उप सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक–1964 दिनांक–31.08.05 के अनुसार दिनांक–01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सरकारी निदेशों/नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8– योगदान के समय इस बात का शपथ–पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

9– योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी द्वारा **चाँदनी परवीन** से उपरोक्त सभी शर्त्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा–पत्र/वांछित कागजात प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। साथ ही, योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी वांछित कागजातों की मूल प्रति ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10– योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

11– योगदान के समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह0/–

(नवदीप शुक्ला)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांकः– 7 स्था0 (2) अनु0–16/2024 1456 (नि0) पटना–15, दिनांक 08/04/2025

निबंधित प्रतिलिपिः– चाँदनी परवीन, पति स्व0 जावेद अख्तर, भूतपूर्व परिचारी, पशु शल्य चिकित्सक कार्यालय, सहरसा, वर्तमान पता–ग्राम/मोहल्ला–नया बाजार, वार्ड संख्या–03, पोस्ट– सहरसा, थाना–सहरसा, प्रखंड–कहरा, अनुमंडल–सहरसा, जिला–सहरसा, पिन कोड–852202 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर वांछित कागजात/शपथ पत्र के साथ कार्यालय पशु शल्य चिकित्सालय, सहरसा में योगदान देना सुनिश्चित करें।

निबंधित प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–2002, दिनांक–01.04.2003 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः– जिला पशुपालन कार्यालय, सहरसा के पत्रांक–2151, दिनांक–19.09.2024 एवं पत्रांक–2713, दिनांक–27.11.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित प्रतिलिपिः– पशु शल्य चिकित्सक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि अपने नियंत्रणाधीन स्थापना में कार्यालय परिचारी संवर्ग के स्वीकृत किसी भी रिक्त पद पर योगदान स्वीकृत करते हुये उपरोक्त कंडिका–1 (एक) में वर्णित वेतनमान में वेतनादि का नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

निबंधित प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक–66–179/22 Com No.-164570–369/स्था0, दिनांक–16.03.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।